

१

कार्यालय: निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, तपोवन, देहरादून

आदेश सं०-सेवा-२/अराज./ ७१ / 2017-2018 दिनांक २६ सितम्बर, 2017

"विज्ञप्ति / नियुक्ति"

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्र संख्या 232/55(03)/डी०आर०(मा०शि०) /सेवा-१/2014-15 दिनांक 10 जुलाई, 2017, पत्र संख्या 266/55(03)/डी०आर०(मा०शि०) /सेवा-१/ 2014-15 दिनांक 26 जुलाई, 2017 एवं पत्र संख्या 281/55(03)/डी०आर०(मा०शि०) /सेवा-१ / 2014-15 दिनांक 16 अगस्त, 2017 के द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को शासन के पत्रांक 482 दिनांक 19 जुलाई, 2017, पत्रांक 482 दिनांक 16 अगस्त, 2017, पत्रांक 585 दिनांक 24 अगस्त, 2017 एवं शासनादेश संख्या 477/XXIV- नवसृजित/ 2017-32(01)/2013 टी०सी० III दिनांक 30 जून, 2017 के क्रम में विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा, वेतनकम, (वेतन वैड-२ रु० 9300-34800, ग्रेड पे 4800) में प्रवक्ता गणित (सामान्य शाखा) के पद पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-०७ में अंकित विद्यालय में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली, 2008 के प्रस्तर-१९ के प्राविधानों के अन्तर्गत नियुक्त अभ्यर्थी न्यूनतम दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे। प्रथम नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

क्र सं	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम व पता	श्रेणी/उप श्रेणी	जन्मतिथि गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	नियुक्त विद्यालय का नाम	अन्य विवरण
01	02	03	04	05	06	07	08
1	प्रियंका डॉभाल	पुत्री श्री गोपाल राम डॉभाल, ग्राम-कुलणा डी-६२ के०पी० क्षेत्र अदूरवाला भानियावाला देहरादून	GEN/UF	०४-०७-९१ देहरादून	एम०एस०सी० गणित बी०एड०	रा०इ०का० नागनाथ पोखरी, चमोली	रिक्त पद के प्रति
2	राजबीर सिंह रावत	पुत्र श्री शुक्ल चंद्र रावत, ग्राम भगवानपुर पो० राजावाला जनपद देहरादून	GEN/ EXS	०६-०२-७४ देहरादून	एम०एस०सी० गणित बी०एड०	रा०इ०का० कलोपी उत्तरकाशी	रिक्त पद के प्रति
3	पूनम शाह	पुत्र श्री सिद्धी लाल शाह, ग्राम कोट विचला पो०-कोट मल्ला तहसील रुद्रप्रयाग, जनपद रुद्रप्रयाग	SC/UF	३१-०५-८५ रुद्रप्रयाग	एम०एस०सी० गणित बी०एड०	रा०इ०का० गुन्दियाट गांव उत्तरकाशी	रिक्त पद के प्रति

2. नियुक्ति आदेश निर्धारित होने की तिथि से 20 दिन के भीतर नियुक्त अभ्यर्थी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-०७ पर अंकित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर उनका घयन/नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

3. नियुक्ति के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण के उपरान्त संबंधित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम-८ के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार चिर्धारित की जायेगी।

(रामकृष्ण उनियाल)

अपर निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पू०सं० सेवा-२/अराजा०/ १९२२-२०/ 2017-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- (2) महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।

- (3) महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
 (4) सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
 (5) सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल।
 (6) अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
 (7) मुख्य कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
 (8) संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं की संकलित सूचना कार्यभार ग्रहण की तिथि सहित मण्डलीय अपर निदेशक के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा, संबंधित जनपद।
 (9) संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस आशय से कि संबंधित अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर उनकी अंकना ई-पोर्टल पर करना सुनिश्चित करें।
 (10) संबंधित प्रधानाचार्य को इस निर्देश के साथ कि वे संबंधित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण/जाति/अन्य प्रमाण पत्रों की जांच मूल अभिलेखों से भली-भांति करने के पश्चात् उहें कार्यभार ग्रहण करायें। प्रमाण पत्रों में भिन्नता होने पर इसकी सूचना निदेशालय को उपलब्ध करायें।
 (11) संबंधित अभ्यर्थी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत की तिथि से 20 दिन के भीतर अपनी तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो उनकी नियुक्ति को निरस्त करते हुए आयोग को सूचित कर दिया जायेगा। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा संस्थाध्यक्ष के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण/जाति/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज के प्रमाणित फोटो, मुख्य विकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, जहां शिक्षा प्राप्त की हो, प्रस्तुत करने होंगे। विवाहित अभ्यर्थी को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी एक ही जीवित पत्नी/पति हैं। संबंधित अभ्यर्थी को संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा प्रमाण पत्र कि “मेरे विलुप्त किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है” प्रस्तुत करने होंगे।
 (12) सूचना प्रकोष्ठ, शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
 (13) कार्यालय आदेश पुस्तिका।

CJN
 (सीओएसओबिएस)
 उप निदेशक,
 माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

कार्यालय: निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, तपोवन, देहरादून

आदेश सं0-सेवा-2/अराज./ ८८२ / 2017-2018 दिनांक २६ सितम्बर, 2017

‘विज्ञप्ति/नियुक्ति’

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्र संख्या 216/55(03)/डी0आर0(मा०शि०)/सेवा-1/2014-15 दिनांक 30 जून, 2017, पत्र संख्या 207/55(03)/डी0आर0(मा०शि०)/सेवा-1/2014-15 दिनांक 28 जून, 2017, पत्र संख्या 266/55(03)/डी0आर0(मा०शि०)/सेवा-1/2014-15 दिनांक 26 जुलाई, 2017 एवं पत्र संख्या 184/55(03)/डी0आर0(मा०शि०)/सेवा-1/2014-15 दिनांक 08 जून, 2017 के द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को शासन के पत्रांक 482 दिनांक 11 जुलाई 2017, पत्रांक 482 दिनांक 16 अगस्त, 2017, पत्रांक 482 दिनांक 19 जुलाई, 2017 एवं शासनादेश संख्या 477/XXIV- नवसृजित/2017-32(01)/2013 टी०सी० III दिनांक 30 जून, 2017 के क्रम में विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा, वेतनकम्, (वेतन वैड-2 रु० 9300-34800, ग्रेड पे 4800) में प्रवक्ता भौतिक विज्ञान (सामान्य शाखा) के पद पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-07 में अंकित विद्यालय में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली, 2008 के प्रस्तर-19 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियुक्त अभ्यर्थी न्यूनतम दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे। प्रथम नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम व पता	श्रेणी /उप श्रेणी	जन्मतिथि गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	नियुक्त विद्यालय का नाम	अन्य विवरण
01	02	03	04	05	06	07	08
1	शीला	स्व०रामप्रसाद मैठाणी फोदणी भवन शक्ति विहार भवितव्याना श्रीनगर गढ़वाल	GEN/ UF	15-06-81 टिहरी	एम०एस०सी० भौतिक विज्ञान बी०एड०	रा०इ०का० बैंजवाड़ी (कीर्तिनगर) टिहरी गढ़वाल	रिक्त पद के प्रति
2	प्रदीप कुमार	श्री जगदीश लाल ग्राम बोसा (जापड़ा) पो० दुर्गाधार जिला रुद्रप्रयाग	SC/G EN	13-09-89 रुद्रप्रयाग	एम०एस०सी० भौतिक विज्ञान बी०एड०	रा०इ०का० भगवती तलिया पौड़ी	रिक्त पद के प्रति
3	गीता हृष्वाल	पुत्र श्री चंचल सिंह बृथ्वाल, ग्राम बिथीं पौ० गिरांत तहसील मुनस्सरी जनपद पिथौरागढ़	OBC/ UF	26-3-88 पिथौरागढ़	एम०एस०सी० भौतिक विज्ञान बी०एड०	रा०इ०का० नारायण नगर पिथौरागढ़	रिक्त पद के प्रति
4	सुनीता देवी	पुत्री श्री भूमान सिंह, म०न०-18 ग्राम भैसियाकार्म (टंकपुरी) पौ० बाजपुर, जनपद उधमसिंह नगर	ST/UF	10-02-89 उधमसिंह नगर	एम०एस०सी० भौतिक विज्ञान बी०एड०	रा०इ०का० महरोली अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति

2. नियुक्ति आदेश निर्गत हानि की तिथि से 20 दिन के भीतर नियुक्त अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-07 पर अंकित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर उनका चयन/नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

3. नियुक्ति के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण के उपरान्त संबंधित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम-8 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(रामकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पू0सं0 सेवा-2/अराज0/19240-53 /2017-2018 तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- (1) अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
 - (2) महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
 - (3) महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
 - (4) सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
 - (5) सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल।
 - (6) अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
 - (7) मुख्य कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
 - (8) संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं की संकलित सूचना कार्यभार ग्रहण की तिथि सहित मण्डलीय अपर निदेशक के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
 - (9) वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा, संबंधित जनपद।
 - (10) संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस आशय से कि संबंधित अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर उनकी अंकना ई-पोर्टल पर करना सुनिश्चित करें।
 - (11) संबंधित प्रधानाचार्य को इस निर्देश के साथ कि वे संबंधित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण/जाति/अन्य प्रमाण पत्रों की जांच मूल अभिलेखों से भली-भांति करने के पश्चात् उहें कार्यभार ग्रहण करायें। प्रमाण पत्रों में भिन्नता होने पर इसकी सूचना निदेशालय को उपलब्ध करायें।
 - (12) संबंधित अभ्यर्थी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत की तिथि से 20 दिन के भीतर अपनी तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो उनकी नियुक्ति को निरस्त करते हुए आयोग को सूचित कर दिया जायेगा। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा संस्थाध्यक्ष के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण/जाति/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज के प्रमाणित फोटो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, जहां शिक्षा प्राप्त की हो, प्रस्तुत करने होंगे। विवाहित अभ्यर्थी को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी एक ही जीवित पत्नी/पति हैं। संबंधित अभ्यर्थी को संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा प्रमाण पत्र कि “मेरे विलङ्घ किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है” प्रस्तुत करने होंगे।
 - (13) सूचना प्रकोष्ठ, शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
 - (14) कार्यालय आदेश पुस्तिका।

26/9/17
(सूचना प्रकोष्ठ)
उप निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

कार्यालय: निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूखेड़ा, तपोवन, देहरादून
आदेश सं०-सेवा-२/अराज./ ८३ / २०१७-२०१८ दिनांक २६ सितम्बर, २०१७

"विज्ञप्ति/नियुक्ति"

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्र संख्या ५१०/५५(०३)/डी०आर०(मा०शि०)/सेवा-१/२०१४-१५ दिनांक ०७ दिसम्बर, २०१६ एवं पत्र संख्या २६६/५५(०३)/डी०आर०(मा०शि०)/सेवा-१/२०१४-१५ दिनांक २६ जुलाई, २०१७ के द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को शासन के पत्रांक ९९२ दिनांक १४ दिसम्बर, २०१६ एवं पत्रांक ४८२ दिनांक १६ अगस्त, २०१७ तथा शासनादेश संख्या ४७७/XXIV-नवसृजित/२०१७-३२(०१)/२०१३ टी०सी० III दिनांक ३० जून, २०१७ के क्रम में विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा, वेतनकम, (वेतन वैंड-२ रु० ९३००-३४८००, घेड पे० ४८००) में प्रवक्ता रसायन विज्ञान (सामान्य शाखा) के पद पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-०७ में अंकित विद्यालय में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली, २००८ के प्रत्तर-१९ के प्राविधानों के अन्तर्गत नियुक्त अभ्यर्थी न्यूनतम दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे। प्रथम नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम व पता	श्रेणी / उप श्रेणी	जन्मतिथि गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	विद्यालय का नाम	अन्य विवरण
०१	०२	०३	०४	०५	०६	०७	०८
१	श्रेता झाम्ब	श्री बैजनाथ झाम्ब ५८९ लेन न०-२ गंगा नगर ऋषिकेश देहरादून	GEN/UF	०६-०७-७५ देहरादून	एम०एस०सी० रसायन विज्ञान बी०ए८०	रा०इ०का० दुरोगी ठिहरी गढ़वाल	रिक्त पद के प्रति
२	रेखा बिष्ट	पुत्र श्री भवान सिंह बिष्ट, तला नेगवाड गोपेश्वर जनपद चमोली	ST	१-१०-८३ चमोली	एम०एस०सी० रसायन विज्ञान बी०ए८०	रा०इ०का० मोलधार लोस्तु ठिहरी गढ़वाल	रिक्त पद के प्रति

२. नियुक्ति आदेश निर्गत होने की तिथि से २० दिन के भीतर नियुक्त अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख उपर्युक्त स्तम्भ-०७ पर अंकित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

३. नियुक्ति के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण के उपरान्त संबंधित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, २००२ के नियम-८ के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(रामकृष्ण उनियाल)

अपर निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प०सं० सेवा-२/अराज०/१०२५४-६७ / २०१७-२०१८ तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (१) अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- (२) महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
- (३) महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (४) सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
- (५) सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल।
- (६) अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- (७) मुख्य कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
- (८) संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं की संकलित सूचना कार्यभार ग्रहण की तिथि सहित मण्डलीय अपर निदेशक के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

- (9) वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा, संबंधित जनपद।
- (10) संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस आशय से कि संबंधित अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर उनकी अंकना ई-पोर्टल पर करना सुनिश्चित करें।
- (11) संबंधित प्रधानाचार्य को इस निर्देश के साथ कि वे संबंधित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण/जाति/अन्य प्रमाण पत्रों की जांच मूल अभिलेखों से भली-भांति करने के पश्चात् उन्हें कार्यभार ग्रहण करायें। प्रमाण पत्रों में भिन्नता होने पर इसकी सूचना निदेशालय को उपलब्ध करायें।
- (12) संबंधित अभ्यर्थी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत की तिथि से 20 दिन के भीतर अपनी तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो उनकी नियुक्ति को निरस्त करते हुए आयोग को सूचित कर दिया जायेगा। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा संस्थाध्यक्ष के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण/जाति/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज के प्रमाणित फोटो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वरक्षता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, जहां शिक्षा प्राप्त की हो, प्रस्तुत करने होंगे। विवाहित अभ्यर्थी को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी एक ही जीवित पत्नी/पति हैं। संबंधित अभ्यर्थी को संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा प्रमाण पत्र कि “मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है” प्रस्तुत करने होंगे।
- (13) सूचना प्रकोष्ठ, शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (14) कार्यालय आदेश पुस्तिका।

M
(सी०एस०बिष्ट) 26/9/17
उप निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

३

कार्यालय: निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, तपोवन, देहरादून

आदेश सं0-सेवा-2/अराज./ ८४ / 2017-2018 दिनांक 26 सितम्बर, 2017

"विज्ञप्ति / नियुक्ति"

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्र संख्या 216/55(03)/डी0आर0(मा०शि०) / सेवा-1 / 2014-15 दिनांक 28 जून, 2017, पत्र संख्या 207/55(03)/डी0आर0(मा०शि०) / सेवा-1 / 2014-15 दिनांक 30 जून, 2017, पत्र संख्या 232/55(03)/डी0आर0(मा०शि०) / सेवा-1 / 2014-15 दिनांक 10 जुलाई, 2017, पत्र संख्या 266/55(03)/डी0आर0(मा०शि०) / सेवा-1 / 2014-15 दिनांक 01 जून, 2017 के द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से 179/55(03)/डी0आर0(मा०शि०) / सेवा-1 / 2014-15 दिनांक 01 जून, 2017 के द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को शासन के पत्रांक 482 दिनांक 11 जुलाई 2017, पत्रांक 482 दिनांक 19 जुलाई, 2017, पत्रांक 482 दिनांक 16 अगस्त, 2017 एवं शासनादेश संख्या 477/XXIV- नवसृजित/ 2017-32(01)/2013 टी०सी० III दिनांक 30 जून, 2017 के क्रम में विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा, 2017-32(01)/2013 टी०सी० III दिनांक 30 जून, 2017 के क्रम में विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा, वेतन वैड-2 रु 9300-34800, ग्रेड पे 4800) में प्रवक्ता हिन्दी (सामान्य शाखा) के पद पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-07 में अंकित विद्यालय में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली, 2008 के प्रस्तार-19 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियुक्त अभ्यर्थी न्यूनतम दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे। प्रथम नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम व पता	श्रेणी /उप श्रेणी	जन्मतिथि गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	नियुक्त विद्यालय का नाम	अन्य विवरण
01	02	03	04	05	06	07	08
1	ममता	श्री लोकेन्द्र प्रसाद ग्राम पुजारगांव पो०आ० बनगांव जिला उत्तरकाशी	OBC/ UF	20-8-87 उत्तरकाशी	एम०ए० हिन्दी बी०ए० संस्कृत बी०ए८०	रा०इ०का० भटवाडी धनारी, उत्तरकाशी	रिक्त पद के प्रति
2	नीरा रावत	पुत्री श्री पूरण सिंह, वार्ड-०२ नगरपालिका परिषद बड़कोट उत्तरकाशी	OBC/ UF/ DFF	14-10-85 उत्तरकाशी	एम०ए० हिन्दी बी०ए० संस्कृत बी०ए८०	रा०इ०का० मजाकोट नगुण ठिहरी	रिक्त पद के प्रति
3	कु० दीपा	पत्नी श्री राजेश प्रसाद नौटियाल ग्राम मुसडगांव पो० भटवाडी धनारी जनपद उत्तरकाशी	OBC/ UF	05-04-91 उत्तरकाशी	एम०ए० हिन्दी बी०ए० संस्कृत बी०ए८०	रा०इ०का० मिश्रवाण गांव ठिहरी गढ़वाल	रिक्त पद के प्रति
4	सुरेन्द्र सिंह	पुत्र श्री जयेन्द्र सिंह, ग्राम-स्थालना पो० भंसाडी तहसील बड़कोट जनपद उत्तरकाशी	OBC	8-12-91 उत्तरकाशी	एम०ए० हिन्दी बी०ए० संस्कृत बी०ए८०	रा०इ०का० कौलाग बागेश्वर	रिक्त पद के प्रति
5	मंजिता	पत्नी श्री अजय सिंह चौहान, ग्राम व पो० पौन्डी (बड़कोट) जनपद उत्तरकाशी	OBC/ UF	1-1-90 उत्तरकाशी	एम०ए० हिन्दी बी०ए० संस्कृत बी०ए८०	रा०इ०का० बैज्वाडी (कीर्तिनगर) ठिहरी गढ़वाल	रिक्त पद के प्रति
6	शिव कुमार	पुत्र श्री बृजलाल अवरथी, ग्राम वांण पो० मंजगांव जनपदउत्तरकाशी	OBC	15-08-90 उत्तरकाशी	एम०ए० हिन्दी बी०ए० संस्कृत बी०ए८०	रा०इ०का० पंचाली चमोली	रिक्त पद के प्रति

N M.A.C.

1 ✓

क्र सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम व पता	श्रेणी /उप श्रेणी	जन्मतिथि गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	नियुक्त विद्यालय का नाम	अन्य विवरण
01	02	03	04	05	06	07	08
7	लोकेन्द्र	पत्र श्री भजराम ग्राम टिपरी दरागी पो० जिल्हा कोटद्वार तहसील चिन्नालीसौङ, जनपद उत्तरकाशी	OBC	20-7-89 उत्तरकाशी	एम०६० हिन्दी बी०१० संस्कृत बी०५८०	रा०६०का० पगना चमोली	रिक्त पद के प्रति
8	मीना आर्या	पुत्री श्री कैलश राम, ग्राम—चतुरुषोज, पो० मनिआगर जनपद अल्मोड़ा	SC/ UF	30-6-86 अल्मोड़ा	एम०६० हिन्दी बी०१० संस्कृत बी०५८०	रा०६०का० दशौला बडियार अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
9	रजनी टम्टा	पत्नी श्री पुष्कर भेटवाल, ग्राम व पो० भेटी विकासखण्ड घाट जनपद चमोली	SC/ UF	17-7-89 चमोली	एम०६० हिन्दी बी०१० संस्कृत बी०५८०	रा०६०का० कुण्डबगड चमोली	रिक्त पद के प्रति
10	मीना	पुत्री श्री चन्दन सिंह, क००८०-७४ बी, चूर्ण रेलवे कालोनी, हरिद्वार	SC/ UF	13-03-83 हरिद्वार	एम०६० हिन्दी बी०१० संस्कृत बी०५८०	रा०६०का० तड़ागताल अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति

2. नियुक्ति आदेश निर्गत होने की तिथि से 20 दिन के भीतर नियुक्त अभ्यर्थियों को उनके नाम के समुख स्तम्भ-07 पर अंकित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर उनका चयन/नियुक्ति स्वतः समाप्त/निरस्त समझी जायेगी।

3. नियुक्ति के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण के उपरान्त संबंधित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम-८ के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(रामकृष्ण लनियाल)

अपर निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ०८० सेवा-२/अराज०/१९२६८-८१ / 2017-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- (2) महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
- (3) महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (4) सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
- (5) सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल।
- (6) अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- (7) मुख्य कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
- (8) संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं की संकलित सूचना कार्यभार ग्रहण की तिथि सहित मण्डलीय अपर निदेशक के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- (9) वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा, संबंधित जनपद।
- (10) संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस आशय से कि संबंधित अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर उनकी अंकना ई-पोर्टल पर करना सुनिश्चित करें।
- (11) संबंधित प्रधानाचार्य को इस निर्देश के साथ कि वे संबंधित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण/जाति/अन्य प्रमाण पत्रों की जांच मूल अभिलेखों से भली-भांति करने के पश्चात्

- उन्हें कार्यभार ग्रहण करायें। यह भी सुनिश्चित हो लें कि संबंधित अन्यर्थी संस्कृत विषय से स्नातक उपाधिधारक हो। प्रमाण पत्रों में भिन्नता होने पर इसकी सूचना निदेशालय को उपलब्ध करायें।
- (12) संबंधित अन्यर्थी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत की तिथि से 20 दिन के भीतर अपनी तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो उनकी नियुक्ति को निरस्त करते हुए आयोग को सूचित कर दिया जायेगा। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अन्यर्थी द्वारा संस्थाध्यक्ष के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण/जाति/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज के प्रमाणित फोटो, मुख्य विकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आकृति श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, जहां शिक्षा प्राप्त की हो, प्रस्तुत करने होंगे। विवाहित अन्यर्थी को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी एक ही जीवित पत्नी/पति हैं। संबंधित अन्यर्थी को संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा प्रमाण पत्र कि “मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है” प्रस्तुत करने होंगे।
- (13) सूचना प्रकोष्ठ, शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (14) कार्यालय आदेश पुस्तिका।

(पी0एस0बिष्ट)
उप निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

कार्यालय: निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, तपोवन, देहरादून

आदेश सं०-सेवा-२/अराज./ ७५ / २०१७-२०१८ दिनांक २६ सितम्बर, २०१७

‘विज्ञप्ति/नियुक्ति’

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्र संख्या 216/55(03)/डी०आर०(मा०शि०) / सेवा-१/2014-15 दिनांक 28 जून, 2017, पत्र संख्या 207/55(03)/डी०आर०(मा०शि०) / सेवा-१/2014-15 दिनांक 30 जून, 2017, पत्र संख्या 232/55(03)/डी०आर०(मा०शि०) / सेवा-१/2014-15 दिनांक 10 जुलाई, 2017 एवं पत्र संख्या 266/55(03)/डी०आर०(मा०शि०) / सेवा-१/2014-15 दिनांक 26 जुलाई, 2017 के द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को शासन के पत्रांक 482 दिनांक 11 जुलाई 2017, पत्रांक 482 दिनांक 19 जुलाई, 2017, पत्रांक 482 दिनांक 16 अगस्त, 2017 एवं शासनादेश संख्या 477/XXIV-नवसुजित/2017-32(01)/2013 टी०सी० III दिनांक 30 जून, 2017 के क्रम में विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा, वेतनक्रम, (वेतन वैड-२ रु० ९३००-३४८००, घेड पे ४८००) में प्रवक्ता अंग्रेजी (सामान्य शाखा) के पद पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-०७ में अंकित विद्यालय में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली, 2008 के प्रस्तर-१९ के प्राविधानों के अन्तर्गत नियुक्त अभ्यर्थी न्यूनतम दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे। प्रथम नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम व पता	त्रेणी/उप श्रेणी	जन्मतिथि गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	नियुक्त विद्यालय का नाम	अन्य विवरण
01	02	03	04	05	06	07	08
1	हिमांशु कुमार भैसौड़ा	पुत्र श्री जसवन्त सिंह भैसौड़ा, ग्राम डफिला पो० थल जनपद पिथौरागढ़	GEN	01-07-83 पिथौरागढ़	एम०ए० अंग्रेजी बी०ए८०	रा०इ०का० डुगराकोट पिथौरागढ़	रिक्त पद के प्रति
2	रघुनाथ सिंह	पुत्र श्री सरदार सिंह, ग्राम कुरोली पो० मुस्टिकसौड जनपद उत्तरकाशी	OBC/E XS	30-6-69 उत्तरकाशी	एम०ए० अंग्रेजी बी०ए८०	रा०इ०का० भटवाड़ी धनारी, उत्तरकाशी	रिक्त पद के प्रति
3	मुकेश कुमार	पुत्र श्री ओम प्रकाश, ग्राम सकनोली पो० पुल्यान्सु कल्जीखाल जनपद पौड़ी गढ़वाल	GEN/ EXS	2-10-68 पौड़ी	एम०ए० अंग्रेजी बी०ए८०	रा०इ०का० भगवती तलिया पौड़ी	रिक्त पद के प्रति
4	गणेश जोशी	पुत्र श्री रमेश चन्द्र जोशी, ग्राम गुराना पो० दौलाघट जनपद अल्मोड़ा	GEN/ EXS	10-6-75 अल्मोड़ा	एम०ए० अंग्रेजी बी०ए८०	रा०इ०का० भल्यूटा अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति

2. नियुक्ति आदेश निर्गत होने की तिथि से २० दिन के भीतर नियुक्त अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-०७ पर अंकित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर उनका चयन/नियुक्ति स्वतः समाप्त/निरस्त समझी जायेगी।

3. नियुक्ति के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण के उपरान्त संबंधित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम-८ के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

2/8/2017
 (रामकृष्ण उनियाल)
 अपर निदेशक,
 माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृष्ठ सेवा-२/अराज०/१९२६२-९५ / २०१७-२०१८ तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- (2) महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।

- (3) महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
 (4) सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
 (5) सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल।
 (6) अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
 (7) मुख्य कोशाधिकारी, संबंधित जनपद।
 (8) संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं की संकलित सूचना कार्यभार ग्रहण की तिथि सहित मण्डलीय अपर निदेशक के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
 (9) वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा, संबंधित जनपद।
 (10) संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस आशय से कि संबंधित अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर उनकी अंकना ई-पोर्टल पर करना सुनिश्चित करें।
 (11) संबंधित प्रधानाधार्य को इस निर्देश के साथ कि वे संबंधित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण/जाति/अन्य प्रमाण पत्रों की जांच मूल अभिलेखों से भली-भांति करने के पश्चात् उन्हें कार्यभार ग्रहण करायें। प्रमाण पत्रों में भिन्नता होने पर इसकी सूचना निदेशालय को उपलब्ध करायें।
 (12) संबंधित अभ्यर्थी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत की तिथि से 20 दिन के भीतर अपनी तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो उनकी नियुक्ति को निरस्त करते हुए आयोग को सूचित कर दिया जायेगा। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा संस्थानीयक के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण/जाति/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज के प्रमाणित फोटो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, जहां शिक्षा प्राप्त की हो, प्रस्तुत करने होंगे। विवाहित अभ्यर्थी को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी एक ही जीवित पत्नी/पति हैं। संबंधित अभ्यर्थी को संघ/संघीय संस्कार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा प्रमाण पत्र कि “मेरे विलोद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है” प्रस्तुत करने होंगे।
 (13) सूचना प्रकोष्ठ, शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
 (14) कार्यालय आवेश पुस्तिका।

माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
 (सी०एस०बिट) 26/०१/२२
 उप निदेशक,

कार्यालय: निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेडा, तपोवन, देहरादून

आदेश सं0—सेवा—2/अराज./ **T76** /2017–2018 दिनांक 26 सितम्बर, 2017

“विज्ञप्ति/नियुक्ति”

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्र संख्या 232/55(03)/डी0आर0(मा0शि0)/सेवा—1/2014—15 दिनांक 10 जुलाई, 2017, पत्र संख्या 266/55(03)/डी0आर0(मा0शि0)/सेवा—1/2014—15 दिनांक 26 जुलाई, 2017, पत्र संख्या 281/55(03)/डी0आर0(मा0शि0)/सेवा—1/2014—15 दिनांक 16 अगस्त, 2017, पत्र संख्या 290/55(03)/डी0आर0(मा0शि0)/सेवा—1/2014—15 दिनांक 21 अगस्त, 2017 एवं पत्र संख्या 290/55(03)/डी0आर0(मा0शि0)/सेवा—1/2014—15 दिनांक 21 अगस्त, 2017 के द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को शासन के पत्रांक 482 दिनांक 11 जुलाई 2017, पत्रांक 482 दिनांक 19 जुलाई, 2017, पत्रांक 482 दिनांक 16 अगस्त, 2017, पत्रांक 585 दिनांक 24 अगस्त, 2017 एवं पत्रांक 586 दिनांक 29 अगस्त, 2017 तथा शासनादेश संख्या 477/XXIV—नवसृजित / 2017—32(01) / 2013 डी0सी0 III दिनांक 30 जून, 2017 के क्रम में विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा, वेतनकम, (वेतन वैड—2 रु 9300—34800, घेड पे 4800) में प्रवक्ता अर्थशास्त्र (सामान्य शाखा) के पद पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—07 में अंकित विद्यालय में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली, 2008 के प्रस्तर—19 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियुक्त अभ्यर्थी न्यूनतम दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे। प्रथम नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा—भत्ता देय नहीं होगा।

क्र सं	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम व पता	श्रेणी /उप श्रेणी	जन्मतिथि गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	नियुक्त विद्यालय	अन्य विवरण
01	02	03	04	05	06	07	08
1	दीपा कार्की	पुत्री श्री रामसिंह कार्की, ग्राम बरम बच्चुड़ी तहसील डीडीहाट जनपद पिथौरागढ़	GEN/UF	25—5—79 पिथौरागढ़	एम0ए0 अर्थशास्त्र बी0एड0	रा0इ0का0 बास्टे पिथौरागढ़	रिक्त पद के प्रति
2	श्यामसिंह	पुत्र श्री दानसिंह, ग्राम लामबगड़, पो0 बच्छुवाबाण, जनपद चमोली	GEN	10—02—82 चमोली	एम0ए0 अर्थशास्त्र बी0एड0	रा0इ0का0 नैलखन्सर चमोली	रिक्त पद के प्रति
3	गणेश कुवार्णी	ग्राम बधाण पो0 चितियानौला, तहसील रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा	GEN	15—7—85 अल्मोड़ा	एम0ए0 अर्थशास्त्र बी0एड0	रा0इ0का0 बौलाग बागेश्वर	रिक्त पद के प्रति
4	गिरीश चन्द्र सिंह	पुत्र श्री जगदीश सिंह, ग्राम—चमोली, पो0 गागरीगोल जनपद बागेश्वर	GEN	30—08—1977 बागेश्वर	एम0ए0 अर्थशास्त्र बी0एड0	रा0इ0का0 स्यांकोट बागेश्वर	रिक्त पद के प्रति
5	दिगम्बर सिंह	पुत्र श्री उदय सिंह ग्रम जयकपड़ी पो0 उच्छाढ़ुंगी जनपद लुद्रप्रयाग	GEN	26—11—83 लुद्रप्रयाग	एम0ए0 अर्थशास्त्र बी0एड0	रा0इ0का0 ल्वाणी चमोली	रिक्त पद के प्रति
6	विनोद सिंह	श्री अत्तर सिंह ग्राम हिमरोल पो0ओ0कफनोल जनपद उत्तरकाशी	OBC	10—03—78 उत्तरकाशी	एम0ए0 अर्थशास्त्र बी0एड0	रा0इ0का0 जुणगा, उत्तरकाशी	रिक्त पद के प्रति

V

Ch.

M

(13)

क्र सं	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम व पता	श्रेणी /उप श्रेणी	जन्मतिथि गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	नियुक्त विद्यालय का नाम	अन्य विवरण
01	02	03	04	05	06	07	08
7	मीनाक्षी आर्या	पुत्री स्व० श्री राजेन्द्र प्रसाद, ग्राम भूमियाधार, पो० भूमियाधार भवाली जनपद नैनीताल	SC/UF	25-05-80 नैनीताल	एम०ए० अर्थशास्त्र बी०ए८०	रा०इ०का० सौङ नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
8	इश्वरी दत्त भट्ट	पुत्र श्री देवी दत्त भट्ट, 361, गांधी नगर रुड़की जनपद हरिद्वार	GEN/ EXS	27-07-197 ० हरिद्वार	एम०ए० अर्थशास्त्र बी०ए८०	रा०इ०का० देवी टिहरी गढ़वाल	रिक्त पद के प्रति
9	प्रदीप कुमार	श्री देवकीनन्दन गगवार कलीनिक, खेड़ा कोलौनी वार्ड न०-५ पुरानाखेड़ा रुदुपुर जिला ऊधमसिंहनगर	OBC	05-03-81 ऊधमसिंह नगर	एम०ए० अर्थशास्त्र बी०ए८०	रा०इ०का० डालकन्या नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
10	त्रिलोक राम	पुत्र श्री राम ग्राम व पो० खीड़ा जनपद अल्मोड़ा	SC	15-05-88 अल्मोड़ा	एम०ए० अर्थशास्त्र बी०ए८०	रा०इ०का० जमोली अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
11	जसवीर लाल	पुत्र स्व० श्री नैनू ग्राम कवीनी पो० कुरझण तहसील व जनपद रुद्रप्रयाग	SC/E XS	06-04-66 रुद्रप्रयाग	एम०ए० अर्थशास्त्र बी०ए८०	रा०इ०का० घेस चमोली	रिक्त पद के प्रति
12	आशा रानी	पत्नी श्री दीप दर्शन आर्या, रमना गांव पो० गनाइ चौखुटिया जनपद अल्मोड़ा	SC/UF	06-12-78 अल्मोड़ा	एम०ए० अर्थशास्त्र बी०ए८०	रा०इ०का० अधौड़ा नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
13	दीपि गोस्वामी	पुत्री श्री डी०ए८० गोस्वामी, ग्राम गोरलचौड़ पो० व जनपद चम्पावत	OBC/ UF	15-08-84 चम्पावत	एम०ए० अर्थशास्त्र बी०ए८०	रा०इ०का० डोबामागू चम्पावत	रिक्त पद के प्रति
14	सुनील दत्त	पुत्र श्री जयदेव, ग्राम गुनोगी पट्टी बमुण्ड पो० चोपड़ीयाल गांव जनपद टिहरी	GEN/ EXS	08-04-76 टिहरी	एम०ए० अर्थशास्त्र बी०ए८०	रा०इ०का० बीरेन्द्रकोट टिहरी गढ़वाल	रिक्त पद के प्रति
15	ललिता	पुत्री श्री राजेन्द्र सिंह, ग्राम व पो० मैठाणा, थाना चमोली जनपद चमोली	OBC	08-07-84 चमोली	एम०ए० अर्थशास्त्र बी०ए८०	रा०इ०का० गणाइ मोल्टा चमोली	रिक्त पद के प्रति

2. नियुक्ति आदेश निर्गत होने की तिथि से 20 दिन के भीतर नियुक्त अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्बन्ध स्तम्भ-07 पर अंकित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर उनका चयन/नियुक्ति स्वतः समाप्त/निरस्त समझी जायेगी।

3. नियुक्ति के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण के उपरान्त संबंधित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम-8 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(रामकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृष्ठा-2 / अराज 0/19296-309 / 2017-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- (2) महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
- (3) महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (4) सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
- (5) सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल।
- (6) अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- (7) मुख्य कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
- (8) संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं की संकलित सूचना कार्यभार ग्रहण की तिथि सहित मण्डलीय अपर निदेशक के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- (9) वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा, संबंधित जनपद।
- (10) संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस आशय से कि संबंधित अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर उनकी अंकना ई-पोर्टल पर करना सुनिश्चित करें।
- (11) संबंधित प्रधानाचार्य को इस निर्देश के साथ कि वे संबंधित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व उनके समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण/जाति/अन्य प्रमाण पत्रों की जांच मूल अभिलेखों से भली-भांति करने के पश्चात् उहें कार्यभार ग्रहण करायें। प्रमाण पत्रों में भिन्नता होने पर इसकी सूचना निदेशालय को उपलब्ध करायें। संबंधित अभ्यर्थी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत की तिथि से 20 दिन के भीतर अपनी तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो उनकी नियुक्ति को निरस्त करते हुए आयोग को सूचित कर दिया जायेगा। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा संस्थाध्यक्ष के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण/जाति/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज के प्रमाणित फोटो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, जहां शिक्षा प्राप्त की हो, प्रस्तुत करने होंगे। विवाहित अभ्यर्थी को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी एक ही जीवित पत्नी/पति हैं। संबंधित अभ्यर्थी को संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा प्रमाण पत्र कि "मेरे विलङ्घ किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है" प्रस्तुत करने होंगे।
- (12) सूचना प्रकोष्ठ, शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (13) कार्यालय आदेश पुस्तिका।

Chandru
(सी०एस०बिष्ट)
उप निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड